न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारीः संजय कुमार गोरा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 05/2020
दायर दिनांकः 08.07.2020
निर्णय दिनांकः 20.09.2022

उनवान

1. भूली पुत्री प्रभात्या पत्नि बसंतीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा हाल ग्राम पुरोहितों का बास तहसील दौसा जिला दौसा।
2. कौशल्या पुत्री प्रभात्या पत्नि हीरालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा हाल निवासी ग्राम मानोता तहसील बसवा जिला दौसा।
3. प्रेम पुत्री प्रभात्या पत्नि रामफूल जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा हाल निवासी कोटापट्‌टी तहसील लवाण जिला दौसा।
4. शान्ति पुत्री प्रभात्या पत्नि रामलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा हाल निवासी ग्राम कोटापट्‌टी तहसील लवाण जिला दौसा।
5. फूलवती पुत्री प्रभात्या पत्नि प्रभात जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा हाल निवासी आमटेडा तहसील दौसा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र प्रभात्या जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा जिला दौसा।
2. मोहनलाल पुत्र प्रभात्या जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।
4. ग्राम पंचायत कालोता तहसील दौसा जरिये सरपंच।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 09.01.2008 ग्राम जामा द्वारा तस्दीक ग्राम पंचायत कालोता तहसील दौसा जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स की ओर से नामान्तरकरण संख्या 207 ग्राम जामा निर्णय दिनांक 09.01.2008 ग्राम पंचायत कालोता के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोन्डेन्ट्स संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य, खास भाई बहिन, मृतक प्रभात्या के जायन्दा पुत्र–पुत्रियां तथा कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी हैं। अपीलान्ट्स का मृतक प्रभात्या की कृषि भूमि व चल–अचल सम्पत्ति पर बराबर का हक हिस्सा है। ग्राम जामा तहसील दौसा में आराजी वर्तमान खसरा नम्बर

लगातार....2...

उप खण्ड अधिकारी

69/1 रकबा 0.83 है0, 70/1 रकबा 0.31 है0, 71/1 रकबा 0.22 है0, 72/1 रकबा 0.12 है0, 73/1 रकबा 0.24 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.72 है0 स्थित है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मांगीलाल पुत्र प्रभात्या हिस्सा 1/2, मोहनलाल पुत्र प्रभात्या हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के साबिक नम्बर 36 मिन थे तथा एकीकरण की खतौनी सम्वत् 2017 में उक्त भमि की खातेदारी अपीलान्ट्स के बाबा नहन्या पुत्र मुकुन्दा के नाम से दर्ज थी। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के पिता की सम्पत्ति है तथा पैतृक सम्पत्ति में अपीलान्ट्स के जन्म से ही कानूनन अधिकार प्राप्त हो चुके थे। अपीलान्ट्स के पिता प्रभात्या का स्वर्गवास दिनांक 26.09.2007 को हो गया तथा उसकी पत्नि की भी मृत्यु हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत के सरपंच से षडयंत्र करके चुपचाप में प्रभात्या पुत्र नहनू की विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से मिलिभगत कर दिनांक 09.01.2008 को अवैध रूप से तस्दीक कराकर खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा ली। ग्राम पंचायत कालोता ने प्रभात्या के वारिसान के संबंध में विना कोई जांच किये व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो प्रारम्भिक तौर पर निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत के कोरम के समक्ष नामान्तरकरण पेश ही नहीं हुआ, जबकि कानूनन कोई निर्णय व आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत के कोरम में नामान्तरकरण पेश होना चाहिए था। नामान्तरकरण पर आई.एल.आर. की कोई रिपोर्ट भी नहीं ली गई, जबकि आई.एल.आर. की रिपोर्ट होना जरूरी है। अपीलान्ट्स को जैर अपील नामान्तरकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि ग्राम पंचायत ने कोई सूचना नहीं दी, ना ही कोई पक्ष रखने का मौका ही दिया। अब दिनांक 25.06.2020 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने ऐलानिया कहा कि अपीलान्ट्स का विवादित भूमि से कोई लेना–देना नहीं है, ना ही कोई हिस्सा देंगे। विवादित भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करेंगे। इस पर पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तथा साबिक रिकार्ड खातेदारी एकीकरण नामान्तरकरण संख्या 207 को तलाश कर दिनांक 29.06.2020 को नकल प्राप्त की, तब उक्त फर्जी व अवैध कार्यवाही की जानकारी हुई तो अपीलान्ट्स ने वकील से कानूनी सलाह लेकर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद मय दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाकर नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 09.01.2008 विरासत तस्दीक ग्राम पंचायत कालोता निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि प्रभात्या मृतक के समस्त वारिसान के संबंध में विधिवत कार्यवाही करे तथा अपीलान्ट्स को विधिवत रूप से सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही विधि व नियमों के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक करे।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की तामील हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की ओर से श्री ... जाखड एडवोकेट ने पावर पेश किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट मृतक प्रभात्या की जायन्दा पुत्री हैं। उनका भी उक्त भूमि में बराबर का हक हिस्सा है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर लिए जाने में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को कोई आपत्ति नहीं है। मूल नामान्तरकरण संख्या 207 ग्राम जामा को तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sanjay Kumar
Date: 2023.03.01 12:45:54 IST
Reason: SelfAttested

लगातार....3....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अपीलान्ट्स की ओर से कथन किया गया कि विरासत का नामान्तरकरण संख्या 207 ग्राम जामा निर्णय दिनांक 09.01.2008 ग्राम पंचायत कालोता द्वारा पुत्रियों के नाम नहीं खोला गया। अपील करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अपील के द्वारा खातेदारी अधिकार तय नहीं करवाये जा रहे है, बल्कि नियम विरूद्ध खोले गये नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। साथ ही अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 207 आदेश दिनांक 09.01.2008 को खारिज कर रिमाण्ड करने का अनुरोध किया गया। अप्रार्थी अपीलान्ट्स की ओर से निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गयाः–

1. RRT 2008 (2) Kailash Chand vs Chhoti & Ors. Page No. 936 to 939.

रेस्पोडेन्ट की ओर से कथन किया गया कि अपीलान्ट्स द्वारा अधिघोषणा का दावा न्यायालय सहायक कलक्टर, दौसा में दायर किया हुआ है। अतः जब नियमित वाद पेंडिन्ग हो वहां अपील तय नहीं की जा सकती। अपील के माध्यम से खातेदारी अधिकार तय नहीं किये जा सकते। उक्त अपील देरी से 12 साल बाद पेश की गई है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। मूल नामान्तरकरण के अवलोकन से यह बात स्पष्ट रूप से साबित है कि भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच के बिना ही प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब से इस बात की पुष्टि होती है कि अपीलान्ट मृतक प्रभात्या की जायन्दा पुत्री हैं। पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का भी कानूनन हक होता है। जबकि नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 09.01.2008 ग्राम जामा में पुत्रियों का नाम दर्ज नही किया गया है। अतः नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 09.01.2008 ग्राम जामा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 09.01.2008 ग्राम जामा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति सहित मूल नामान्तरकरण वापस लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया था मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

Signature Not Verified

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:54 IST
Reason: SelfAttested